

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलुम्बर (राज.)।

श्रीमती सुबीला कुमर वनाम का लु कुमर

मुकदमा नं. ५१७५ पत्रावली संख्या १२/२०२५ सन

तारीख हुकम कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी

2/4/25 वाद जांच पत्रावली दर्ज रजिस्टर को एक पेश हुई अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली वास्तु जवाब दिनांक 01/5/2025 को पेश को

नाहर सिंह देवड़ा प्रति (13)

01/5/2025 पत्रावली पेश हुई, अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 17, 18 की रजिस्टर्ड AD से प्राप्त हुई व अप्रार्थी सं. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, व 19 से 25 की बांध तामील प्राप्त जो सलुम्बर पत्रावली श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा राजकीय कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली वास्तु जवाब दिनांक 22/5/25 को पेश को

श्रीमान का लु कुमर प्रति (9)
- (14) प्रति श्री. रतनकुमार राजपल - 21 (प्रति) दिनांक 22/5/25 प्रति

22/5/25 पत्रावली पेश हुई, श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली वास्तु जवाब दिनांक 26/6/25 को पेश हो।

पुष्पा 20 प्रति श्री. सुनी 23 प्रति

26.6.25 पत्रावली पेश हुई, श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली वास्तु जवाब दिनांक 21/8/25 को पेश हो।

Rajesh Ad. 22.05.2025

22/8/25 पत्रावली पेश हुई, श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली वास्तु जवाब दिनांक 26/9/25 को पेश हो।

26.9.25 पत्रावली पेश हुई, गरी अधिवक्ता उपरिषद् प्रतिवादीगण को प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया जाकर वास्तु पत्रावली जवाब दिनांक 17/10/25 को पेश को

17.10.25

पत्रावली पेश हुई, वकील स्नायल उपस्थित, गौरस्नायलान को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया तथा जवाब पेश करने की 90 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात गौरस्नायलान के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है एवं इनका जवाब बंद किया जाता है, पत्रावली वास्तु बहस दिनांक 31.10.25 को पेश हो।

कुं

31.10.25

पत्रावली पेश हुई, वकील अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस हेतु समय चालू है, अंतर्गत में समय दिया जाकर वास्तु पत्रावली दिनांक बहस दिनांक 11/11/25 को पेश हो।

कुं

7.11.25

शुद्धी लाकू 92
श्री मिकुवर

पत्रावली पेश हुई वकील वकील उपस्थित प्रकरण में बहस हेतु समय दिया जाकर वास्तु पत्रावली बहस दिनांक 21/11/25 को पेश हो।

कुं

21.11.2025

पत्रावली पेश हुई, प्राची वकील उपस्थित मूल वाद का निस्तारण हो जाने से प्रार्थना पत्र में अलग कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र का कोई अर्थित्व नहीं है, प्रार्थना पत्र प्रौढल सुभाह दीकर नम्बर से कम कीया जाये।

निर्णय खुले अंशालय में युनामागमा)

कुं